महेन्द्र सिंह

85/150

मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

महिला घरेलू हिंसा एवं सशक्तिकरण

घरेलू हिंसा (निवारण) अधि० 2005 के अनुसार किसी महिला को घर के अन्य सदस्यों द्वारा मौखिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, घरेलू हिंसा का कृत्य माना जाएगा।

ताजा रिपोर्ट की बात करे तो (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी) महिलाओं के विरुद्ध 2019 मे 89203 अपराध रिकार्ड किए गए। इनमे सर्वाधिक अपराध 31.9% घरेलू हिंसा के ही थे। ये आंकड़े गम्भीर है तब, जबकि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है, महिला सहभागिता की बाते करते है। इन घटनाओं का लगातार बढ़ना एक सभ्य समाज एवं लोकतंत्र हेतु कलंक माना जाता है।

अब इन घटनाओं के कारणों पर नजर डाले तो कोई एक कारक नहीं बल्कि यह इतिहास से ही चलता आ रहा एक चक्र है जिसमे महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति तथा जीवन जीने की स्वतंत्रता का दमन किया गया।

प्रश्न संख्या	मुख्य परीक्षा म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओ से विभेद लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। उस समय ही याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के संवाद मे उठते वाद विवाद सर्वविदित है। फिर ऋषि गौतम एवं अहिल्या के कथाओ मे घरेलू हिंसा ही दृष्टिगोचर होती है।

थोड़ा और आगे आए तो द्रौपदी के साथ जो हुआ, किस प्रकार से उसे भरी सभा मे निर्वस्त्र किया गया। दुष्यंत और शकुन्तला की कहानी भी इसी का प्रमाण रही। यह तो हुई पुरातन बातें, जैसे जैसे समय बढ़ा घरेलू हिंसा के आयाम बढ़े सामाजिक बंधनों, विभेदो एवं मर्यादा मे महिलाओ को बांधा गया। साथ ही इसे धर्म की मान्यता भी प्राप्त होती गई।

आलम यह रहा कि महिलाओ को घर से निकलने पर, सार्वजनिक रूप से हंसने पर, मोटा दहेज न मिलने पर, अनेक कारणो पर पीटा गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक महिला ही दूसरे महिला की घरेलू हिंसा का कारण बन गई।

वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो परिवार में बहू को संस्कारो , एवं रीतिरिवाज पालन का ढंग सिखा जाता है। किंतु संपत्ति मे हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता । कई मामलो मे उनकी अर्जित परिसंपत्तियों को हड़प कर लोग उसे स्वयं दाने- दाने का मोहताज बनाते है।

एक समस्या और गंभीर तब होती है जब महिला विधवा हो जाए , प्रथम तो विधवा होने का सामाजिक कलंक प्राप्त हो जाता है द्वितीय अपना मर्द की अश्लील निगाहे उसे हर समय असहज महसूस करती है। यह भी सत्य है कि अनेक मामलो मे घर के अन्य सदस्यों द्वारा उस महिला का शारिरिक शोषण होता है।

इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा उसे दहेज के ताने सुनने के लिए तैयार रहना होता है।

आश्चर्य की बात है जिस बेटी को हम लक्ष्मी मान कर अपने घरों मे लाते है पूर्ण परम्पराओ एवं रीतियो को सम्पन्न कराते हुए गृह प्रवेश कराते है , उसे लक्ष्मी नहीं और घर की सेविका मात्र बना दिया जाता है और अब उस महिला से सदस्यों का संबंध अपने स्वार्थ सिद्धि तक ही सीमित रह जाता है। जबकि वे संदर्भ मे कभी नहीं देखते कि उसका स्त्र[illegible]

गांधी इंस्टीट्यूट For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
t.me/MGICS www.mgicsindo

कैसा है, उसने भी भोजन किया या नहीं।
वास्तव मे इस समस्या का कारण क्या है?
यह जानना जरूरी है। इस प्रश्न का हल
हमारा समाज, हमारी सोच,

हमारा समाज पूर्वकाल से ही स्त्री को भी
ही पूज्यनीया का दर्जा दे किन्तु वास्तव में
उसे पुरुष आश्रित, अबला एवं यौन तृप्ति
तथा अंहकार मिटाने वाली वस्तु समझा गया
आज भी पुरुषो की सारी गालियाँ माँ
बहनो पर ही केन्द्रित होती है। कई मामले
में व्यक्तिगत बैर का बदला संबंधित महिला
के उपर शारिरिक एवं लैंगिक हमले कर
के लिए जाते है।
सत्य तो यह कि इस पितृसत्ता
समाज मे आज भी स्त्री को दर्जा सेवा
तक ही सीमित है, उसे कुछ कहने
निर्णय लेने का अधिकार नहीं है
अन्यथा परिणाम तो हम सबके सामने
है। लेकिन इसमे महिलाओ की
मौन सहमति भी इस प्रथा को
बढ़ावा देती है यदि महिलाए जागरूक
हो तो सरकार द्वारा किए गए

प्रत्येक ही व्यक्ति है। लेकिन समाज का अंग होने के कारण वर्षों से जो उसने देखा है वही नियति मानकर सब सहती है और प्रतिकार नहीं करती। ~~एक प्रकार~~

अब यह देखते है कि आखिर इस प्रथा का परिणाम क्या होता है। स्पष्ट है कि एक लोकतंत्र बनता है लोगों से और लोग बनते है महिला एवं पुरुषों से। यदि महिलाओं पर हमला होता है तो यह लोकतंत्र पर हमला माना जाता है। ~~इक~~

इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट जब सार्वजनिक होती है तो देश के तमाम विकास के दावों को खोखला करती है, क्योंकि बिना गरिमा, विकास कैसा। फिर यदि समाज में यह प्रथा मौजूद है तो निश्चित ही महिलाएं आर्थिक व उत्पादक गतिविधियों वैज्ञानिक गतिविधियों से दूरी बनाती है, इसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक विकास की गति धीमी होती है साथ ही आने वाली पीढ़ी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शायद इसीलिए साउदी अरब जैसे देश महिलाओं को स्वतंत्रता देने लगे है।

इन सभी कारकों को देखते हुए सशक्तिकरण के प्रयास चालू हुए। सर्वप्रथम प्रयास बुद्धिजीवियों के स्तर पर हुआ जैसे की राजाराम मोहनराय ने सती प्रथा उन्मूलन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा विवाह एवं बालिका शिक्षा हेतु प्रयास किए। इन्ही के समान सुधारकों की प्रेरणा से कालान्तर में महिला सशक्तिकरण हेतु संविधान में निम्न उपाय किये गए जो अग्रलिखित है

अनु 15 लैंगिक विभेदों का अंत करता है साथ ही अनु 16 लोकनियोजन में अवसर की समानता देता है तथा अनु 19 उन्हे विचार अभिव्यक्ति और अनु॰ 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। इसके अतिरिक्त अनु 23 महिलाओं के दुर्व्यपार को रोकता है।

महिलाओं की शासन-प्रशासन मे सहभागिता बढ़ाने हेतु 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम उन्हे स्थानीय स्वशासन मे आरक्षण प्रदान करता है।

अब बात करते है विधिक उपायों की जो अग्रलिखित है—

(7) महिलाओं हेतु सी.आर.पी.सी. उपबंध-
इसमें महिलाओं की गिरफ्तारी - महिला अधिकारी द्वारा तथा गरिमा को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। उनसे पूछताछ पसंद की जगह पर ही की जाएगी तथा अपराधी परिवीक्षा का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार IPC में 498-A जोड़ा गया एवं घरेलू हिंसा निवारण अधि (2005) बनाया गया है। जिसमें निम्न उपबंध किए गए-

पहला- संज्ञेय/असंज्ञेय दोनों माना जाएगा।
दूसरा दाण्डिक कार्यवाही (1 वर्ष की कैद)
तीसरा सिविल अपराध की श्रेणी
चौथा- महिला को संरक्षण एवं दोषी से रक्षा

इसी भांति दहेज प्रतिषेध/अधि- 1961 बनाया गया इसके उपबंध है-

पहला- संज्ञेय अपराध
अपराधिक श्रेणी
सजा - 3-से 7 वर्ष कारावास
फिर लाभ- मेंटेनेंस सहायता, संपत्ति में अधिक
समान पारिश्रमिक अधिनियम -1976- लाया गया जिसमें महिलाओं को समान वेतन प्रदान किया

प्रश्न संख्या

विधवा महिला पुनर्विवाह अधि० 1978
इस अधिनियम ने विधवा जीवन को फिर से खुशहाल किया है। इसके प्रबन्ध हैं-
(i) पुनर्विवाह मान्यता
(ii) प्राप्त बच्चों की वैधता
(iii) पूर्व पति संपत्ति छोड़नी होगी।

सरकार के अन्य उपायों में पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, सखी वन स्टाप सेंटर की स्थापना, महिला अधिकारी नियुक्ति, महिला शरण योजना की व्यवस्था की गई है।
किन्तु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाली महिलाएं ही होती हैं और पीड़ित भी महिला ही होती है यह महिला मां तो बहू या फिर बहन या पत्नी हो सकती है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आता है कि अनेक झूठे मुकदमें औरतों द्वारा ससुराल पक्ष के ऊपर डलवाए जाते हैं, इसकी पुष्टि स्वयं NCRB करता है। इस प्रकार सरकार को यह भी चाहिए कि कानूनों को तार्किक भी बनाया जाए। किन्तु यह भी सत्य है कि

ऐसे मामले 16-18 की है रोज मानसिक है।
एक भारतीय बेटे के नाते एक
अन्तिम जिम्मेदार सामाजिक सदस्य होने के
नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे देश व ऐसे
समाज का निर्माण करे जो महिला गरिमा को
अक्षुण्ण रखे, समान अधिकारो की वृद्धि करे।
इस हेतु निम्न उपाय है-

प्रथम- म॰ बालिकाओ की शिक्षा अनिवार्य हो।
द्वितीय उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो
ताकि पुरुष आश्रित न हो।
तृतीय- जागरूक बनाए ताकि अपने अधिकारो
हेतु लड़ सके।
चतुर्थ- सोच मे परिवर्तन - बहु को बेटी माने
तथा बहू भी सास को माँ माने।
तथा महिलाओ की बुद्धि को तुच्छ
न समझे उन्हे सम्मान दे।
पंचम- उन्हे स्वतंत्रता दे, उनका अपमान
एवं शारिरिक हिंसा न करे।

फिर कुछ प्रयास महिलाओ को स्वयं
भी करने होगें गौतम बुद्ध के अप्प दीपो भव
सिद्धान्त को ध्यान रखते हुए।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट
For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
https://www.youtube.com/mahatmagandhiinstituteMgics t.me/MGICS www.mgicsindore.com

महिलाओं को स्वयं शिक्षा, जागरूकता आर्थिक उन्नति के प्रयास करने होंगे न कि नियति पर सब छोड़ना होगा।

इस संदर्भ में "पिंक" मूवी की कुछ पंक्तियां याद आती है।

चरित्र जब पवित्र है
तो क्यों है ये दशा तेरी
ये पापियों को हक नहीं
कि ले परीक्षा तेरी

जो तुझसे लिपटी बेड़ियां
समझ न इनको वस्त्र तू
ये बेड़ियां पिघाल के
बना ले इनको शस्त्र तू
तू खुद की खोज में निकल
तू किस लिए हताश है।

तू चल तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है।

good

नैतिक मूल्य और जरूरत

18

नैतिक मूल्य ऐसे मानक है जो क्या अनुचित है क्या उचित है। इसका निर्धारण करते हैं। इसके अलावा जो मूल्य नैतिकता की स्थापना करे, नैतिक मूल्य कहा जाता है।

नैतिक मूल्य की एक ऐतिहासिकता है जैसे की कौटिल्य के आचरण संहिता, अशोक के धम्म की अवधारणा मे वर्णित है। ठीक घोड़ा और आगे बढ़े तो सल्तनत काल मे मुहतसिब और अकबर की दीन-ए-इलाही एक प्रकार से नैतिकता की स्थापना करने वाले मूल्यो का ही समुच्चय रहे।

नैतिकता की आवश्यकता क्यो है इस पर विचार जरूरी है। यदि हम विविध आयामों पर चर्चा करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा।

उदाहरण के लिए व्यक्तिगत जीवन मे नैतिक मूल्यो का होना सभ्य परिवार एवं समाज का निर्माण होता है। ऐसा समाज दोष रहित होता

प्रश्न संख्या	
	दूसरी बात यदि प्रशासन मे नैतिक मूल्य मार्ग से विपथगामी है तो प्रशासन अपने लक्ष्य मे सफल नहीं होता। है फिर जन कल्याण की आशा नहीं होती। यदि प्रशासन मे नैतिकता है तो वह कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, जनानुकूली होता है और जनता सर्वोच्च कल्याण प्राप्त होता है।
	इसके अतिरिक्त राजनीति मे यदि नैतिकता है तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगी अधिकतम कल्याण करेगी, दोष रहित व पक्षपात पूर्ण पथ का चयन नहीं करेगी किन्तु यदि नैतिकता की कमी है तो राजनीति अपने उद्देश्यों से परे व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि मे लग जाते हैं तथा निरंकुश हो जाते हैं
	इसके साथ-साथ शिक्षा मे भी नैतिकता जरूरी है क्योंकि नैतिकता विहीन शिक्षा पैसा तो दे सकती किन्तु सफलता नहीं।
	ऐसा नहीं है कि व्यवसायों मे नैतिक मूल्य जरूरी नहीं है। नैतिक मूल्य यदि व्यवसाय मे जरूरी है निहित है तो वे व्यापार

प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देते है, अनुचित व्यापार प्रथाओं का त्याग करते है तथा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद का निर्माण नहीं करते। ठीक इसी तरह

यदि हम भ्रष्टाचार रहित, विषमता रहित देश की कल्पना करते है तो यह जरूरी है कि नैतिकता की व्यापकता हो। गरीबी, महिला, दलितोत्थान हेतु भी नैतिक मूल्य ही अभिप्रेरणा प्रदान करते है।

निष्कर्षतः नैतिक मूल्य प्रशासन - राजनीति को जनोन्मुखी बनाते, भ्रष्टाचार, विभेद रहित देश एवं सभ्य तथा अपराध रहित समाज निर्माण हेतु उपयोगी है।

प्रश्न संख्या

राजनीति में मूल्य पतन

राजनीति, जनसेवा का माध्यम है
यह शासन संचालन की प्रक्रिया है
लोकतंत्र की आत्मा है।

राजनीति सदा से मूल्यों पर आधारित रही
है ये मूल्य थे अधिकतम जनकल्याण
सर्वांगीण विकास, सामाजिक सौहार्द्र निर्माण
उत्तम चरित्र निर्माण आदि।

राजनीतिक मूल्यों का वर्णन कौटिल्य ने
अपने अर्थशास्त्र, प्लेटो ने द स्टेटमैन
एवं द अरस्तु ने अपनी पुस्तक पालिटिक्स
में दी है। दीनदयाल उपाध्याय भी
मूल्य आधारित राजनीति की माँग करते है
जो लगभग 70 के दशक तक होती भी
रही। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री
अटल जी जैसे नेता हमेशा मूल्यों की
राजनीति में विश्वास करते रहे।

फिर इंदिरा युग का आरम्भ हुआ, आपात
लगा कर लोकतंत्र का गला घोटा अपने

व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीतिक मूल्य का पतन है
राजनीतिक जनसेवा की जगह व्यक्तिगत
कल्याण को सर्वोपरि ~~रखते हुए~~ राजनीति
करते हैं। इसीलिए वे दलीकरण व भ्रष्टाचार
भी करते हैं। धर्म और जाति को सीमित
सीमित रखना भी राजनीतिक मूल्य है किन्तु
व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु राजनीति ने भी धार्मिक
रूप लिया जिससे ~~बीजेपी~~ हिन्दु महासभा
एवं मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और
परिणाम समक्ष है। आज भी जब चुनाव होते
है सांप्रदायिक हिंसा फैलायी जाती है व
जातीय हिंसा भड़काई जाती है।

साथ ही सांसदो की भाषा भी असभ्य
होती जा रही है कोई किसी को पप्पू
कहता है कोई चायवाला कहता है।
म.प्र. मे भी 'आइटम' शब्द को लेकर विवाद
हाल मे गर्माया रहा। ऐसा व्यवहार
पहले शायद ही होता रहा। इसके अतिरिक्त
सोशल मीडिया के द्वारा झूठे आरोप के लगाना
फिर छवि खराब कराना आम हो चुका है।
(आलू डालो सोना निकालो)

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा

म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

निजी स्वार्थ हेतु राजनीतिक दलबदल करके जनादेश को ठुकराते है यह भी राजनीतिक मूल्यों की गिरावट का ही परिणाम है।

हद तो तब होती है जब राजनीति का अपराधीकरण होता है। दागी राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है और अपने पैसे व बाहुबल पर वे चुनाव जीत कर जनसेवक बन जाते हैं। ऐसे जनसेवक जिन्होंने अपने स्वार्थ को जनता के लहू से सींचा हो। अनंतसिंह और कुलदीप सेंगर ऐसे ही प्रत्याशी थे।

आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक पार्टियां एक नियमावली बनाए, आचार संहिता निर्मित करें और उन्हीं मूल्यों पर राजनीति करें।

तभी समाज एवं देश का कल्याण संभव है।